

एम0 एस0 डब्ल्यू-15
श्रम कल्याण एवं विधान
Labour Welfare & Legislation

इकाई-1 श्रम: अवधारणा एवं विशेषतायें: श्रम अवधारणा एवं विशेषताएं, असंगठित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें, अनुपस्थिति, श्रमावर्त, उत्पादकता की अवधारणा, उत्पादकता एवं उत्पादन में अन्तर ।

इकाई -2: श्रम कल्याण : अवधारणा, क्षेत्र एवं वर्गीकरण: श्रम-कल्याण की परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, अंग, आवश्यकता, वर्गीकरण, कल्याण कार्यों की असफलता के कारण, श्रम कल्याण कार्य का महत्त्व, कल्याण अधिकारी, कल्याण अधिकारी के कर्तव्य, अन्य कर्तव्यों का गैर निर्वाहन ।

इकाई -3 : श्रम कल्याण : सिद्धान्त एवं प्रशासन: सिद्धान्त, श्रम कल्याण प्रशासन, राज्य सरकार का श्रम प्रशासन, श्रमिक शिक्षा, श्रमिक शिक्षा क्या है ? , भारत में श्रमिक शिक्षा के उद्देश्य ।

इकाई -4 : श्रम कल्याण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपाय : आवास का महत्त्व तथा आवास समस्या के पक्ष , खराब आवास व्यावस्था दोष, श्रमिक सहकारी कार्य समितियां, श्रमिक सहकारी कार्य समितियों की विशेषताएं, अन्य क्षेत्रों में सहभागिता, औद्योगिक आवास नीति तथा आवास कार्यक्रम ।

इकाई -5 : स्वचालनीकरण एवं इसका प्रभाव : स्वचालनीकरण की अवधारणा, प्रभाव, हानियाँ, विश्वव्यापीकरण, विश्वव्यापीकरण का श्रम कल्याण पर प्रभाव, उदारीकरण का श्रम कल्याण पर प्रभाव, श्रम कल्याण में श्रम संघों की भूमिका ।

इकाई-6 : औद्योगिक दुर्घटनायें : कारण एवं निवारण : दुर्घटना के रोकथाम, औद्योगिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य सिद्धान्त, व्यावसायिक बीमारियां , व्यावसायिक बीमारियों का उपचार, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा ।

इकाई -7: मजदूरी एवं वेतन प्रशासन: मजदूरी एवं वेतन अर्थ तथा परिभाषा, मजदूरी एवं वेतन प्रशासन के उद्देश्य, मजदूरी एवं वेतन प्रशासन के सिद्धान्त, भारत में मजदूरी नीति, बोनस, सापेक्षिक मजदूरी तथा मजदूरी में अन्तरों के कारण, फ्रिन्ज बेनीफिट, कर्मचारी लाभों से सम्बन्धित कानून और नियम ।

इकाई -8 : सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व, सामाजिक योजनाओं का क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता ।

इकाई - 9 : श्रम-विधान : विधान का अर्थ, श्रम विधान का अर्थ, उद्देश्य, महत्वपूर्ण सिद्धान्त ।

इकाई -10: कार्य की शर्तों एवं सुरक्षा से सम्बंधित विधान : कारखाना अधिनियम : महत्वपूर्ण परिभाषायें , स्वास्थ्य सम्बन्धी उपबन्ध, सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध, कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध, वयस्क कर्मचारों के काम के घण्टें, अल्पवयस्क व्यक्तियों का नियोजन, खान अधिनियम का महत्वपूर्ण उपबन्ध , बागान श्रमिक अधिनियम का महत्वपूर्ण उपबन्ध , मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम का महत्वपूर्ण उपबन्ध, दुकान और संस्थान अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध ।

इकाई – 11 : मजदूरी से संबंधित विधान :मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का विस्तार व मजदूरी की परिभाषा,मजदूरी भुगतान का दायित्व, मजदूरी-कालावधि तथा मजदूरी-भुगतान के लिए समय,न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की परिभाषाएँ व विस्तार,मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियतन और पुनरीक्षण,सामान्य कार्य के घंटों आदि का नियतन,समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का विस्तार,ठेका श्रम विनियमन अधिनियम, 1970,बोनस भुगतान अधिनियम, 1965।

इकाई-12 : सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विधान : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952,कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- 1.Chaturvedi ,S.N., Labour & Industrial laws,Central Law Agency,Allahabad.
- 2.Goswami,V.G. Labour & Industrial laws,Central Law Agency,Allahabad.
- 3.Agrawal,S.L. Labour legislation laws India ,McMillan Co,Delhi
- 4.R.C. Saxena Labour problems and social welfareEducational Publisher Meerut
- 5.K.N. Void Labour Welfare in India Kanishka